रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय अलवर..थाना. प्र.आ.केन्द्र भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष ... 2022..............
प्र. इ. रि. स. ....293/2022..............दिनांक ....22/7/2022...........
2. (अ) अधिनियम ..भ्र0नि0अधिनियम (संशोधित) 2018...धारायें...13(1)(बी) ....
   (ब) अधिनियम ....भ्र0नि0अधिनियम 1988........................धारायें...13(1)(ई),.13(2)..............................
   (स) अधिनियम ....धारायें...
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....408.....समय..........3.10 P.M.,...
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक वर्ष 27.12.2011 से 23.04.2022..
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 23.04.22 को ली गई खाना तलाशी...
4. सूचना की किस्म :– लिखित,
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर पश्चिम दूरी लगभग 2 कि0मी0 ....
   (ब) पता– सरकारी आवास ए.आर.जी.–07 अलवर एवं आशादीप ग्रीन एवेन्यू फ्लेट नम्बर ई–503 जगतपुरा जयपुर........बीट सख्या ...जरायमदेहीसं.......................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो–पुलिस थाना........... जिला...................................
6.परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम–महेन्द्र कुमार पुलिस उप अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर द्वितीय अलवर।
   (ब) पिता का नाम ....
   (स) जन्म तिथि /वर्ष ....
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथि...
   जारी होने की जगह...
   (र) व्यवसाय...... पुलिस उप अधीक्षक ....
   (ल) पता... कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर द्वितीय अलवर ।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1–श्री अशोक कुमार सांखला पुत्र श्री प्रभातीलाल निवासी गॉव भदाल तहसील सॉभर जिला जयपुर हाल आबाद ई–503 ग्रीन ऐवन्यू आशादीप जगतपुरा जयपुर तत्कालीन भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (हाल निलम्बित)
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही............................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....आय से अधिक सम्पत्ति ....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..................... ....आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना ....
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

महोदय, निवेदन है कि ब्यूरो में दर्ज मुकदमा नम्बर–140 / 2022 में दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 23.04.2022 को मन पुलिस उप अधीक्षक (ट्रेपिंग अधिकारी) द्वारा आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला (आर.ए.एस.) तत्कालीन भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के अलवर स्थित सरकारी आवास ए.आर.जी.–07 की तथा उक्त दिनांक 23.04.2022 को ही श्री बहादुर सिंह पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.–I जयपुर द्वारा आरोपी अशोक कुमार सांखला के आशादीप ग्रीन एवेन्यू फ्लेट नम्बर ई–503 जगतपुरा जयपुर की स्वतंत्र गवाहान के सामने जरिये फर्द ली गई खाना तलासी में मिले सामान / दस्तावेज आदि के मुकाबले संकलित साक्ष्य से पाया गया कि आरोपी श्री अशोक कुमार सांखला राजस्थान प्रशासनिक सेवा में दिनांक 27.12.2011 से नियुक्त होकर बाद प्रशिक्षण सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा, सहायक आयुक्त देवस्थान जयपुर,एसडीएम बीकानेर, वॉईस प्रिंसीपल ए.पी.आर.टी. टोंक, एस.डी.एम. खेतडी जिला झुन्झुनू, एस.डी.एम. मुण्डावर जिला अलवर, एलएओ यूआईटी अलवर, उपायुक्त नगर निगम जयपुर, एवं ए.सी.ई.ओ एडीपीसी ईजीएस बीकानेर, उपायुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता फोर्म राज. जयपुर के पद पर एवं दिनांक 11.01.2021 से भू–प्रबंध अधिकरी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के पद पर पदस्थापित होकर

वक्त कार्यवाही दिनांक 23.04.2022 को भू–प्रबंध अधिकारी अलवर के पद पर पदस्थापित था। खाना तलाशी के दौरान मिले परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित दस्तावेजों आदि सामान के क्रम में चैक अवधि 27.12.2011 से 23.04.2022 तक की आरोपी एवं उसके परिवारजनों की आय व व्यय बाबत प्राप्त रिकार्ड/सूचना के अवलोकन से आरोपी अशोक कुमार सांखला (आर.ए.एस.) की आय व व्यय निम्नानुसार पाई गई है:–

चैक पीरियड दिनांक 27.12.2011 से 23.04.2022 तक की अवधि में आरोपी अशोक कुमार सांखला (आर.ए.एस.) की शुद्व वैद्य आय:–

क्रम सं0	आय का शीर्षक व विवरण	आय प्राप्त होने की दिनांक वर्ष व अवधी	जिसके द्वारा अर्जित की गई व एस.ओ. से सम्बन्ध।	शुद्व आय की राशि
1	एस.ओ. के वेतन भत्तो से शुद्व आय इनकम टैक्स एवं अन्य कटोतियों के बाद मुताबिक जीए 55 नोट माह मई,जून, जुलाई, अगस्त 2019 का जीए 55 प्राप्त नहीं होने की स्थिति में माह मार्च 2019 के वेतन अनुसार राशि अनुमानित है।	27.12.2011 से 23.04.2022 तक	स्वयं आरोपी	64,61,861
2	बैंक ऑफ महाराष्ट्र में संघारित खाता सं0 60167483875 में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से आय मुताबिक बैंक स्टेटमेंट	2014 से 23.04. 2022 तक	आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रियका खींची	60,031
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में संघारित खाता सं0 51100335933 में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज से आय मुताबिक बैंक स्टेटमेंट	2012 से 23.04. 2022 तक	स्वयं आरोपी	1,04,910
			कुल आय योग	**66,26,802**

चैक पीरियड 27.12.2011 से 23.04.2022 तक की अवधि में आरोपी अशोक कुमार सांखला (आर.ए.एस.) द्वारा अर्जित सम्पत्तियां एवं उसके एवं, उसकी पत्नी, बच्चो द्वारा किये गये व्यय का विवरण:–

क्रम सं0	व्यय का शीर्षक	व्यय करने की दिनांक वर्ष व अवधि	जिसके द्वारा व्यय किया गया व एस. ओ. से सम्बन्ध।	व्यय की राशि
1	मुताबिक जी 55 एस.ओ. के सकल वेतन 81,99,460/–रू. में से आयकर राशि 5,66,166/–रू. घटाने के बाद शेष राशि–76,33,294/–रूपये में से 1/3 राशि 25,44,431/.–रूपये असत्यापनीय व्यय	27.12.2011 से 23.04.2022 तक	आरोपी अशोक कुमार सांखला	25,44,431
2	कल्याण नगर ग्राम जयचन्दपुरा जयपुर में पांच प्लोट नम्बर 178, 179, 180, 194, 195, कुल क्षेत्रफल 4325.6 वर्गगज 1/3 हिस्सा आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रियंका खींची के नाम क्रय करने पर व्यय मुताबिक	22.05.2019	आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रियंका खींची के नाम	26,20,930

	बयनामा, पंजीयन स्टाम्प कीमत सहित 1/3 हिस्सा राशि 1–प्लॉट नं. 178 राशि 5,74,333 2–प्लॉट नं. 179राशि 4,67,333 3–प्लॉट नं. 180 राशि 7,40,896 4–प्लॉट नं. 194 राशि 1,96,266 5–प्लॉट नं. 195 राशि 6,42,100 कुल राशि–26,20,930 रूपये व्यय			
3	फ्लेट नम्बर ई/503 आशादीप ग्रीन एवेन्यू जगतपुरा जयपुर को कय करने पर व्यय कीमत मुताबिक बयनामा एवं पंजीयन रसीद कय कीमत 26,00,000 रजि. फीस 36700 स्टाम्प 1,04,000 कुल कीमत 27,40,700	26.05.2014	आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रियंका खींची के नाम	27,40,700
4	ग्राम भदाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में खाता सं0 247 व 248 रकबा 2.5669 में 1/20 वा हिस्सा 0.1283 हैक्टेयर भूमि यानिं 10 विस्वा भूमि	पैत्रक	पैत्रक विरासत में	–
5	विज्ञान नगर जयपुर में एक प्लॉट नम्बर 201 क्षेत्रफल 964 वर्गगज का कय करने पर व्यय कीमत मुताबिक बयनामा एवं पंजीयन रसीद कय कीमत 12,25,000 रजि. फीस 21471 स्टाम्प 45000 कुल कीमत 12,91,471	10.10.2012	आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रियंका खींची के नाम	12,91,471
6	मधुवाटिका गोनेर जयपुर में एक प्लॉट नम्बर 03 क्षेत्रफल 200 वर्गगज हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि. से आवंटित पर व्यय	30.01.2013	आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रियंका खींची के नाम	2,20,110
7	स्कोडा लोरा 1.8 टीएस गाडी नम्बरआरजे–14 सीओ 0011	2014	आरोपी के पिता श्री प्रभातीलाल के नाम	–
8	आरोपी के सरकारी आवास एआरजी–07 अलवर में मिली नकद राशि	23.04.2022	स्वयं आरोपी	6,000
9	आरोपी के फ्लेट ई/503 जयपुर में मिली नकद राशि	23.04.2022	स्वयं आरोपी	19,600
10	आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रियंका खींची के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में संघारित खाता सं0 60167483875 में दिनांक 18.04.2022 को अन्तिम बैलेंस	दिनांक 19.04.2014 से 18.04.2022 तक	आरोपी पत्नी श्रीमती प्रियंका खींची	7,04,734
11	आरोपी अशोक कुमार सांखला के एसबीआई में संघारित खाता सं0 51100335933 में दिनांक 14.04.2022 को अन्तिम बैलेंस	दिनांक 2012 से दिनांक 14.04.2022 तक	स्वयं आरोपी	5,16,400
12	सरकारी आवास एआरजी–07 अलवर की तलाशी में मिला सामान को कय करने पर व्यय	27.12.2011 से 23.04.2022 तक	आरोपी अशोक कुमार सांखला	6,77,954

13	आरोपी के फ्लेट सं. ई/503 जयपुर की खाना तलाशी में मिला सामान को कय करने पर व्यय	27.12.2011 से 23.04.2022 तक		7,63,800
14	पासपोर्ट पर की गई विदेश यात्रा पर व्यय अनुमानित	2016	स्वयं आरोपी द्वारा	50,000
15	आरोपी के सरकारी आवास एआरजी 7 अलवर की खाना तलाशी में मिली अंग्रेजी शराब की भारतीय/विदेशी ब्राण्ड की बोतलों को कय करने पर मुताबिक फर्द अनुमानित व्यय	2022	स्वयं आरोपी	54,590
			कुल व्यय योग	1,22,10,720

इसके अतिरिक्त आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रियंका खीची के नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र जयपुर में संघारित खाता सं. 60167483875 में बैंक से प्राप्त स्टेटमेंट अनुसार दिनांक 19.04.2014 से 18.04.2022 तक केडिट राशि –1,50,59,209 रू. एवं डेबिट राशि –1,43,54,398 रूपये का तथा स्वयं आरोपी अशोक कुमार सांखला के नाम एस.बी.आई. खाता सं. 51100335933 में बैंक स्टेटमेंट अनुसार बडी बडी राशियों का निम्नानुसार केडिट एवं डेबिट होना पाया गया है:–

दिनांक	विवरण	केडिट	डेबिट
20.02.2018	एनईएफटी महेन्द्र सिंह	5,00,000	–
20.02.2018	आरटीजीएस बबली मीना	5,00,000	
01.03.2018	विड्रोल0030020356392,चैक नम्बर 423051	–	10,00,000
21.04.2018	एनईएफटी सॉवर मस्क सैक	5,00,000	–
24.04.2018	चैक नम्बर 058252	11,25,000	
25.04.2018	एनईएफटी भूपेन्द्र कुमार	7,50,000	–
14.05.2018	आरटीजीएस चैक नम्बर 423061	–	6,00,059
14.05.2018	चैक नम्बर 423062	–	20,00,000
06.05.2019	चैक नम्बर 058266	10,60,000	
13.05.2019	आरटीजीएस चैक नम्बर 423070		11,00,000
16.04.2021	आरटीजीएस भवानी शंकर नारा	69,00,000	–
19.05.2021	विड्राल	....	67,48,867
24.05.2021	आरटीजीएस भवानी शंकर नारा	79,50,000	–
01.07.2021	आरटीजीएस प्रियंका खींची चैक नम्बर 423075	–	50,00,047.20
06.09.2021	चैक नम्बर 423076	–	40,00,000

आरोपी एवं उसकी पत्नी के बैंक खातों में बडी–बडी राशियों के हुये लेन–देन बाबत स्थिति दौराने अनुसंधान स्पष्ट होगी।

इस प्रकार आरोपित अधिकारी श्री अशोक कुमार सांखला (आर.ए.एस.) भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर की ज्ञात स्रोतो से शुद्व आय 66,26,802/–रूपये तथा परिसम्पत्तियों एवं व्यय राशि 1,22,10,720/– रू. होना पाई गई हैं।

इस प्रकार दिनांक 27.12.2011 से 23.04.2022 तक की चैक अवधि के दौरान आरोपित अधिकारी श्री अशोक कुमार सांखला (आर.ए.एस.) भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी की अनुमानित वैध रूप से अर्जित आय 66,26,802/–रूपये की तुलना में कुल 1,22,10,720 /–रूपये की परिसम्पत्तियां अर्जित करना पाया गया है जो कुल 55,83,918/– रूपये अधिक है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार आरोपित अधिकारी श्री अशोक कुमार सांखला पुत्र श्री प्रभातीलाल निवासी गॉव भदाल तहसील सॉभर जिला जयपुर हाल आबाद ई–503 ग्रीन ऐवन्यू आशादीप जगतपुरा जयपुर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में दिनांक 27.12.2011 से चयन होकर सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा, सहायक आयुक्त देवस्थान जयपुर, एस.डी.एम. बीकानेर, वॉईस प्रिंसीपल ए.पी.आर.टी. टोंक, एस.डी.एम. खेतडी जिला झुन्झुनू, एस.डी.एम. मुण्डावर जिला अलवर, एल.ए.ओ. यू.आई.टी. अलवर, उपायुक्त नगर निगम जयपुर, एवं ए.सी.ई.ओ. ए.डी.पी.सी. ई.जी.एस. बीकानेर, उपायुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता फोर्म राज. जयपुर, एवं भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के पद पर पदस्थापित रहते हुए दिनांक 27.12.2011 से दिनांक 23.04.2022 की अवधि में अपने ज्ञात आय वैध स्रोतों से अधिक भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से 55,83,918 /–रूपये की अवैध परिसम्पत्तियां

अर्जित करना एवं आरोपी एवं उसकी पत्नी के बैंक खातों में बडी–बडी राशियों के लेन–देन का होना पाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य चल व अचल सम्पत्तियां आदि होने की पूरी–पूरी सम्भावना है, जो दौराने अनुसंधान उजागर होगी तथा बैक खातों में बडी–बडी राशियों के हुये लेन–देन बाबत स्थिति दौराने अनुसंधान स्पष्ट होगी।

अतः श्री अशोक कुमार सांखला पुत्र श्री प्रभातीलाल निवासी गॉव भदाल तहसील सॉभर जिला जयपुर हाल आबाद ई–503 ग्रीन ऐवन्यू आशादीप जगतपुरा जयपुर तत्कालीन भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (हाल निलम्बित) के विरूद्ध अपने ज्ञात आय वैध स्रोतों से अधिक भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से 55,83,918 /–रूपये की अवैध परिसम्पत्तियां अर्जित करने का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(बी), भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम–2018 व धारा 13(1)(ई), सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(महेन्द्र कुमार)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अलवर द्वितीय, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13(1) (बी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री अशोक कुमार सांखला, तत्कालीन भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जिला अलवर (हाल निलम्बित) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 293/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 2568-72 दिनांक 22.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकयत)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

22.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।